87

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

केम्प भोपाल म0प्र0

प्रकरण कमांक /निगरानी/15–16 नि0-2449-II-16

शब्बीर अहमद आ0 सिद्‌दीक अहमद
आयु लगभग 41 साल निवासी 290
नगर निगम कॉलोनी अशोक विहार
भोपाल तहसील हुजूर जिला भोपाल।
व्यवसायिक पता अमर स्तम्भ कॉम्पलेक्स
एमपी नगर जोन–1 भोपाल।..निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. श्यामलाल आ0 दुलीचंद
2. लक्ष्मीबाई पत्नि श्यामलाल
3. बाबूलाल आ0 राजमल
   कमांक 1 से 3 निवासी ग्राम रायपुर नयाखेडा
   तहसील व जिला सीहोर
4. म0प्र0 शासन द्वारा
   श्रीमान कलेक्टर महोदय सीहोर।..प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 45/अ–12/15–16 आदेश दिनांक 20.05.2016 पारित द्वारा नायब तहसीलदार सीहोर।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता की ओर से माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से दुखी असंतुष्ट, एवं व्यथित होकर निम्नांकित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह निगरानी जानकारी दिनांक से निर्दिष्ट न्याय शुल्क पर समयावधि में प्रस्तुत है :–

–: अपील के तथ्य :–

1. यह कि गैर निगरानीकर्ता कमांक 1 द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महोदय सीहोर के समक्ष म0प्र0 भूराजस्व संहिता 129 के अंतर्गत अपने स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 217/8 रकबा 2 हैक्टेयर स्थित ग्राम रायपुर नयाखेडा तहसील व जिला सीहोर का सीमांकन कराने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 30.03.2015 को प्रस्तुत किया जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2016 को सीमांकन की प्रकिया पूर्ण होने पर हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्ड बुक प्राप्त सीमांकन किया गया। प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नही है प्रकरण समाप्त कर दाखिल रिकार्ड किया है।

2. यह कि गैरनिगरानीकर्ता कमांक 1 द्वारा स्वयं व उसकी पत्नि लक्ष्मीबाई के नाम की भूमि का सीमांकन आदेश दिनांक 20.05.2016 के माध्यम से कराये गये सीमांकन के आधार पर निगरानीकर्ता की लगी हुई भूमि में उसकी 0.809 हैक्टेयर के कब्जे को प्राप्त करने हेतु धारा 250 म0प्र0 भूराजस्व संहिता के अंतर्गत माननीय अधिनस्थ नायब तहसीलदार सीहोर के समक्ष कब्जा लेने की कार्यवाही का आवेदन गैरनिगरानीकर्ता कमांक 3 बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत किया

21/7/12

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2449–दो/2016 जिला–सीहोर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेश वर्मा उपस्थित । उनके द्वारा नायब तहसीलदार, सीहोर के प्र0क्र0 45/अ–12/15–16 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है । 2/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्कों पर में वही तर्क दौहराय, जो निगरानी मेमो में अंकित है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया। निगरानी मेमो एवं उसके संलग्न आक्षेपित सीमांकन आदेश दिनांक 20–05–2016 सहित संलग्न आवश्यक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। अनावेदक के द्वारा प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर तहसीलदार के	

निर्देश के पालन में दिनांक 24–6–14 को राजस्व निरीक्षक ने सीमांकन किया जिसपर पंचनामा एवं फील्डबुक तैयार की है। फील्डबुक पर सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों के रकबा सहित उनके भूमिस्वामियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है तथा सीमांकित भूमि के कौन–कौन भूमिस्वामी हैं, उनके हस्ताक्षर हैं, यह स्पष्ट नहीं है। 1996 आर एन 357 गीताशर्मा विरूद्ध म0प्र0 राज्य (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किया गया है– ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का सीमांकन अपने हित के संरक्षण के लिए समीपस्थ सर्वेक्षण संख्यांक का स्वामी उचित पक्षकार है। 1995 (2) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 58 तथा 1992 (1) म0प्र0 वीक्ली नोट्स 159 (उच्चतम न्यायालय) अवलंबित।'' इसी प्रकार 1998 आर एन 106 (उच्च न्याया0) में यह न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि – ''सीमांकन हितबद्ध पक्षकार की उपस्थिति में किया जाना चाहिए।'' स्पष्ट है कि सीमांकित भूमि का सरहदी कृषक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होता है। इसके अतिरिक्त 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं – ''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।'' 1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत

व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता।

4/ माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 के नियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना । यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है– " भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी कास्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,
6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,
7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,
8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

5/ इस प्रकरण में जैसा कि आवेदक अभिभाषक ने निगरानी मेमो एवं अपने तर्कों में कहा है कि दिनांक 20–05–2016 को सीमांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर हल्का पटवारी व राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिर्पोट प्रतिवेदन, पंचनामा, फील्ड बुक प्राप्त सीमांकन किया गया। इसके उपरांत आवेदक को सीमांकन की कोई विधिवत सूचना संबंधित राजस्व निरीक्षक व हल्का पटवारी द्वारा सीमांकन दिनांक की नहीं दी गई है, जो पड़ोसी भूमि स्वामी होने के नाते आवेदक को दी जाना विधि द्वारा आवश्यक थी । राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन में जो फील्ड बुक बनाई है, जिसमें आवेदक का कब्ला 2 एकड़ भूमि पर बताकर लाल स्याही से अंकित किया है वह अवैध तौर पर बताया गया है आवेदक का अनावेदक की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है । उसके द्वारा पूर्व सीमांकन से

सीमा समझ कर अपील भूमि पर जिस प्रकार सीमा चिन्ह सीमांकन में बताये थे, उसी अनुसार उसका व उसके सहस्वामियों का आधिपत्य है । अनावेदक द्वारा जो सीमांकन कराया है वह दूषित तौर पर कराया है । ऐसी स्थिति में दिनांक 20–05–2016 द्वारा किया गया सीमांकन आदेश को विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

6/ अतः सीमांकन आदेश दिनांक 20–05–2016 निरस्त किया जाकर सहस्वामियों को पूर्व सूचना देने के उपरांत नियमों के परिपालन में विधिवत सीमांकन करने हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार, सीहोर को प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य